

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 शिवरामसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगैरा


दावा बावत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 02/2020

यह मुकदमा आज चारते इनफिसाल कतई रू-ब-रू- व हाजरी वादी
मिनजानिब मुददठ व मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता सं. 55 के खसरा न. 179 रकवा 0.19, 185 रकवा 0.19, 196 रकवा 0.34, 202 रकवा 0.24, 203 रकवा 0.06, 276 रकवा 0.33, 277 रकवा 0.04, 297 रकवा 0.25, 298 रकवा 0.16, 299 रकवा 0.16, 300 रकवा 0.21, किता 11 रकवा 2.17 है. , खाता सं. 56 के खसरा न. 100 रकवा 0.01, 101 रकवा 0.87, 108 रकवा 0.34, 109 रकवा 0.17, 110 रकवा 0.93, 111 रकवा 0.01, 112 रकवा 0.20, 113 रकवा 0.01, 114 रकवा 0.89, 115 रकवा 1.35, 231 रकवा 0.19, 232 रकवा 0.14, 235 रकवा 0.14, 242 रकवा 0.25, 271 रकवा 0.37, 272 रकवा 0.50, 275 रकवा 0.54, 363 रकवा 0.44, 364 रकवा 0.33, 365 रकवा 0.29, 366 रकवा 0.29, 383 रकवा 0.48, 99 रकवा 0.09 किता 23 रकवा 9.83 खाता सं. 57 के खसरा न. 484 रकवा 0.65, 493 रकवा 0.51, 502 रकवा 0.76, 503 रकवा 0.51, 504 रकवा 0.26, 508 रकवा 0.35 खाता सं. 87 के खसरा न. 291 रकवा 0.10 वाके ग्राम सेवला तहसील नदबई पर वादी के गलत नाम टीकम पुत्र चरन के स्थान पर शिवराम सिंह पुत्र चरन सिंह शुद्ध किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज - मुबलिग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें।
दसब्द व मुहर अदालत के आज तारीख 04.04.2024 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत

5/4/24
सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मीजान			मीजान		

5/4/24

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

1. शिवरामसिंह पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी सेवला तह. नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई (भरतपुर)
2. अंजना पुत्री लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
3. कप्तान पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
4. गुड्डू उर्फ हरवीर पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
5. गुड्डी पुत्री लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
6. गुड्डी पुत्री मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
7. चन्द्रराम पुत्र मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
8. धर्मवीर पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
9. फूलवती पत्नि लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
10. नन्दराम पुत्र हरज्ञान जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
11. नबाबकौर पत्नि मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
12. पूजा पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
13. पदमसिंह पुत्र खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
14. प्रभा देवी पत्नि विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
15. बच्चू पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
16. बलराम पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
17. रजतसिंह पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
18. रनवीर पुत्र खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
19. रेशम पत्नि हरज्ञान जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
20. राजेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
21. राधा पुत्री मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
22. रामदयाल पुत्र किशोरी जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
23. रामनिवास पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
24. रामप्रसाद पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
25. श्यामसिंह पुत्र मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
26. सत्यवीर पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
27. सावित्री पत्नि लोकेन्द्र जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
28. रामअवतार पुत्र खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
29. विरमा पत्नि खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
30. बी.आर.के.जी.बी. शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर जरिये प्रबंधक
31. बी.आर.के.जी.बी. शाखा बांसीखुर्द जरिये प्रबंधक

प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 02 / 2020

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक ०५.०५.२०२४

1. शिवरामसिंह पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी सेवला तह. नदबई
(भरतपुर)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई (भरतपुर)
2. अंजना पुत्री लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
3. कप्तान पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
4. गुड्डू उर्फ हरवीर पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
5. गुड्डी पुत्री लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
6. गुड्डी पुत्री मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
7. चन्द्रराम पुत्र मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
8. धर्मवीर पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
9. फूलवती पत्नि लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
10. नन्दराम पुत्र हरज्ञान जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
11. नबाबकौर पत्नि मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
12. पूजा पुत्री विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
13. पदमसिंह पुत्र खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)

5/5/24

14. प्रभा देवी पत्नि विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
15. बच्चू पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
16. बलराम पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
17. रजतसिंह पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
18. रनवीर पुत्र खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
19. रेशम पत्नि हरज्ञान जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
20. राजेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
21. राधा पुत्री मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
22. रामदयाल पुत्र किशोरी जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
23. रामनिवास पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
24. रामप्रसाद पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
25. श्यामसिंह पुत्र मुख्त्यार जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
26. सत्यवीर पुत्र लक्ष्मन जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
27. सावित्री पत्नि लोकेन्द्र जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
28. रामअवतार पुत्र खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
29. विरमा पत्नि खिलौना जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई(भरतपुर)
30. बी.आर.के.जी.बी. शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर जरिये प्रबंधक
31. बी.आर.के.जी.बी. शाखा बांसीखुर्द जरिये प्रबंधक

प्रतिवादी

उपस्थित श्री जगवीरसिंह एड0(वादीगण)

5/4/24

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमाफरीकेन में वादी एवं एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्शा नहीं है जो दावा लडने के योग्य न हो यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि आराजी खाता सं. 55 के खसरा न. 179 रकवा 0.19, 185 रकवा 0.19, 196 रकवा 0.34, 202 रकवा 0.24, 203 रकवा 0.06, 276 रकवा 0.33, 277 रकवा 0.04, 297 रकवा 0.25, 298 रकवा 0.16, 299 रकवा 0.16, 300 रकवा 0.21, किता 11 रकवा 2.17 है. खाता सं. 56 के खसरा न. 100 रकवा 0.01, 101 रकवा 0.87, 108 रकवा 0.34, 109 रकवा 0.17, 110 रकवा 0.93, 111 रकवा 0.01, 112 रकवा 0.20, 113 रकवा 0.01, 114 रकवा 0.89, 115 रकवा 1.35, 231 रकवा 0.19, 232 रकवा 0.14, 235 रकवा 0.14, 242 रकवा 0.25, 271 रकवा 0.37, 272 रकवा 0.50, 275 रकवा 0.54, 363 रकवा 0.44, 364 रकवा 0.33, 365 रकवा 0.29, 366 रकवा 0.29, 383 रकवा 0.48, 99 रकवा 0.09 किता 23 रकवा 9.83 खाता सं. 57 के खसरा न. 484 रकवा 0.65, 493 रकवा 0.51, 502 रकवा 0.76, 503 रकवा 0.51, 504 रकवा 0.26, 508 रकवा 0.35 खाता सं. 87 के खसरा न. 291 रकवा 0.10 वाके ग्राम सेवला तहसील नदबई में स्थित हैं। जो कि वादी की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है।

5/4/24

3. यह कि वादी के पिता की मृत्यु होने पर दाखिल खारिज खोले जाने पर गांव में मुंहबोला हुआ नाम टीकम पुत्र चरन दर्ज कर दिया जो सहवन से हुआ है। जो कि शिवराम पुत्र चरन होना चाहिये था।
4. यह कि वादी द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पटवारी हल्का से किसान कार्ड बनवाने के लिये अपने खातेदारी की जमाबंदी नकल मांगी तो पता चला कि दाखिला खारिज खुलते समय जो सहवन गलती हुयी थी उसे अब हाल जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 78 में दोहराया जा रहा है और धमकी दी गई कि आप का नाम शिवराम पुत्र चरन के स्थान पर टीकम पुत्र चरन अंकित हो गया है, उसके आधार पर आराजी से बेदखल कर दिया जायेगा तथा देने यौम धमकी दिनांक 14.10.2019 दावा वाद कारण पैदा हुआ इसलिये वादी दावे के साथ संलग्न दस्तावेज राशनकार्ड आधार कार्ड पहचानपत्र भामाशाह कार्ड पेनकार्ड व लेटरपैड ग्राम पंचायत करही के आधार पर टीकम पुत्र चरन के स्थान पर शिवराम पुत्र चरन शुद्ध करा पाने का अधिकारी है, तथा ताफैसला स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें।
5. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र राज्य सरकार के विरुद्ध पेश किया जा रहा है जिसमें दावा करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का है नोटिस दिया जाता है तो दावा करने की मंशा समाप्त हो जावेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 80(2) जा.दीवानी अलग से पेश किया जा रहा है।

5/11/24

6. यह कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है, जिससे अदालत श्रीमान को वादपत्र की सुनवाई के अधिकार प्राप्त है।

7. अंत में प्रार्थना है कि विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र की आराजी में गलत नाम टीकम पुत्र चरन के स्थान पर शिवराम पुत्र चरन शुद्ध किया जावे तथा उसी अनुरूप अमल में लिया जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी में मदाखलत व मजामहत नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 32 की तलवी हो चुकी है, प्रतिवादी सं. 3,9,14,4,17,23 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया, जो वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया गया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 2 लगायत 32 को वादपत्र से तर्क करने बाबत पेश किया गया, जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 लगायत 32 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई उपस्थित हुये इनके द्वारा वादपत्र अनुसार मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2075-78 वाके ग्राम सेवला, तहसील नदबई, नकल दाखिला खारिज, नकल राशनकार्ड, नकल पहचान पत्र, नकल भामाशाह कार्ड, नकल आधार कार्ड पेश किये गये।

5/4/24

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश एवं मौखिक ब्यान पेश नहीं किये गये।

वादी वकील द्वारा दौराने बहस वादपत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराया गया एवं वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,189 आरटीए के तहत पेश किया गया, तथा प्रकरण में मात्र नाम की शुद्धी चाही गई है जिसमें विवादित आराजी में वादी का गलत नाम टीकम पुत्र चरन के स्थान पर शिवराम पुत्र चरन शुद्ध किये जाने की प्रार्थना की गई है। इस संबंध में तहसीलदार नदबई से भी रिपोर्ट चाही गई तथा मुताबिक रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 04.04. 2024 के अनुसार प्रार्थी के दस्तावेजातों के आधार पर टीकम के स्थान पर शिवराम पुत्र चरन शुद्ध किये जाने की अनुशंषा भी की गई है एवं वादी शिवराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में भी वादी का वास्तविक नाम शिवराम पुत्र चरनसिंह है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता सं. 55 के खसरा न. 179 रकवा 0.19, 185 रकवा 0.19, 196 रकवा 0.34, 202 रकवा 0.24, 203 रकवा 0.06, 276 रकवा 0.33, 277 रकवा 0.04, 297 रकवा 0.25, 298 रकवा 0.16, 299 रकवा 0.16, 300 रकवा 0.21, किता 11 रकवा 2.17 है. , खाता सं. 56 के खसरा न. 100 रकवा 0.01, 101 रकवा 0.87, 108 रकवा 0.34, 109 रकवा 0.17, 110 रकवा 0.93, 111 रकवा 0.01, 112 रकवा 0.20, 113 रकवा 0.01, 114 रकवा 0.89, 115 रकवा 1.35, 231

रकवा 0.19, 232 रकवा 0.14, 235 रकवा 0.14, 242 रकवा 0.25, 271
रकवा 0.37, 272 रकवा 0.50, 275 रकवा 0.54, 363 रकवा 0.44, 364
रकवा 0.33, 365 रकवा 0.29, 366 रकवा 0.29, 383 रकवा 0.48, 99
रकवा 0.09 किता 23 रकवा 9.83 खाता सं. 57 के खसरा न. 484 रकवा
0.65, 493 रकवा 0.51, 502 रकवा 0.76, 503 रकवा 0.51, 504 रकवा 0.
26, 508 रकवा 0.35 खाता सं. 87 के खसरा न. 291 रकवा 0.10 वाके
ग्राम सेवला तहसील नदबई पर वादी के गलत नाम टीकम पुत्र चरन के
स्थान पर शिवराम सिंह पुत्र चरन सिंह शुद्ध किया जाता है। तदानुसार
राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/4/24 को खुले न्यायालय में
लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फौसलेशुमार होकर नम्बर से कम की
जाकर दाखिल दफ्तर हो।



5/4/24
(गंगाधर मीना, P.S.)
सहायक कलेक्टर (नदबई)
सहायक कलेक्टर नदबई
नदबई (भरतपुर) राज